प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 28 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से झांसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 21 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **झांसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 21 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 4,48,93,000/- (रूपये चार करोड़ अड़तालीस लाख तिरानबे हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	18754/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	20-01-2026
2	18822/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	22-01-2026
3	18995/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	27-01-2026
4	19102/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	29-01-2026
5	19264/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	02-02-2026
6	19506/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	12-02-2026
7	19679/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	24-02-2026
8	19914/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	10-03-2026
9	20030/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	14-03-2026
10	20149/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	18-03-2026
11	20295/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2025-26	20-03-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-3 जालौन	कैथवां करतलापुर से शहब्जापुर सम्पर्क मार्ग किमी 1, 2 व 3(750) की विशेष मरम्मत का कार्य।	436 /2022/1081 रासनि/23-1-2022/001-51 आरएसएन/2022 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	63.25 63.25 42.97 9.08 54.17	46.50	7.67	7.67
2	नि.ख.-3 जालौन	आटा चुर्खी मार्ग	263 /2023/722 रासनि(5)/23-1-2023/001-25 आरएसएन/2023 दिनांक 12.03.2023-दिनांक-12-03-2023	50.30 38.37 26.89 0.00 38.37	15.44	22.93	18.37
3	नि.ख.-3 जालौन	राठ-कालपी-मदारीपुर मार्ग	282 /2023/721 रासनि(2) /23-1-23/002-58 आरएसएन/2022 दिनंाक 16.03.2023 -दिनांक-16-03-2023	409.12 409.12 231.10 65.00 344.12	283.88	60.24	60.24
4	नि.ख.-3 जालौन	कि0मी0-1 व 2 (750) में हमीरपुर कालपी से धामना लिंक सड़क की विशेष मरम्मत।	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	24.02 21.56 14.42 0.00 21.56	14.41	7.15	6.35
5	नि.ख.-3 जालौन	कि0मी0-2(300) में लोहार गांव लिंक रोड की विशेष मरम्मत का कार्य।	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	14.51 14.16 10.75 0.57 13.59	8.71	4.88	4.53
6	प्रा.ख. जालौन	वी0पी0 मार्ग से खर्रा धनौरा सम्पर्क मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	40.97 40.97 29.71 0.38 40.59	28.41	12.18	12.18
7	नि.ख.-1 जालौन	मुख्य मार्ग से छतारेकापुरा सम्पर्क मार्ग।	784 /2024/आई/838172 /23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024 पार्ट-2-दिनांक-31-12-2024	43.42 39.00 31.99 5.58 33.42	19.50	13.92	9.50
8	नि.ख.-1 जालौन	सरावन सम्पर्क मार्ग के किमी 1 से 10(100) में विशेष मरम्मत का कार्य।	37 /2025/आई/854717 /23-1-25/001-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-17-01-2025	122.91 106.88 86.30 13.97 92.91	76.88	16.03	14.00
9	प्रा.ख. जालौन	कोंच महेशपुरा मार्ग	263 /2023/722 रासनि(5)/23-1-2023/001-25 आरएसएन/2023	45.15 45.15 33.19 0.51	33.74	10.90	10.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			दिनांक 12.03.2023- दिनांक-12-03-2023	44.64			
10	प्रा.ख. जालौन	बंगरा रेढर लगामपुर होते हुये म0प्र0 की सीमा तक मार्ग	263 /2023/722 रासनि(5)/23-1-2023/001-25 आरएसएन/2023 दिनांक 12.03.2023- दिनांक-12-03-2023	76.26 76.26 55.32 0.54 75.72	53.48	22.24	22.24
11	नि.ख.-3 जालौन	सताराहाजू सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 की विशेष मरम्मत का कार्य।	97/2025/आई/880682/23-1-25/003-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-14-02-2025	17.47 15.19 10.26 0.00 15.19	10.48	4.71	3.96
12	नि.ख. ललितपुर	देवगढ़ से नयागांव सम्पर्क मार्ग के किमी0 2 से 5(300) में विशेष मरम्मत का कार्य।	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	51.35 40.82 28.59 0.52 40.30	30.81	9.49	9.49
13	नि.ख.-3 जालौन	उरई-चुर्खी सिंहरापाल सरेनी (एम0डी0आर0-047बी) के कि0मी0-19 में 3 मी0 स्लैव पुलिया का मरम्मत कार्य।	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	39.09 39.09 30.69 0.88 38.21	23.45	14.76	14.76
14	नि.ख.-3 जालौन	उरई चुर्खी से बिनौरा सम्पर्क मार्ग के किमी- 1 से 3 और 4(200) की विशेष मरम्मत का कार्य।	97/2025/आई/880682/23-1-25/003-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-14-02-2025	38.43 38.43 22.18 0.45 37.98	26.59	11.39	11.39
15	नि.ख.-3 जालौन	कदौरा इकौना मार्ग किमी0 1 व 2(300) में विशेष मरम्मत कार्य।	561 /2025/आई/1139704 /23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	81.16 81.16 52.50 0.12 81.04	28.41	52.63	48.58
16	नि.ख.-1 जालौन	ऊमरी पतराही जगम्मनपुर से कंजौसा मार्ग के किमी0 24 से 26 में विशेष मरम्मत व किमी03 में 600 एम0एम0 एच0पी0 कल्वर्ट व किमी0 18 में 3 गुणा आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	561 /2025/आई/1139704 /23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	67.99 67.99 55.82 0.62 67.37	23.80	43.57	40.20
17	नि.ख.-1 जालौन	बी0पी0 रोड से जगतपुर अहीर समरक मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य	561 /2025/आई/1139704 /23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	94.28 94.28 59.51 2.25 92.03	33.00	59.03	54.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
18	प्रा.ख. जालौन	बिलरायों पनवाडी मार्ग के किमी0-365 में कुकरगांव पुल एप्रोच एवं किमी0-376 गोहानी नाला पुल एप्रोच की मरम्म्त का कार्य	784 /2024/आई/838172/ 23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024 पार्ट-2-दिनांक-31-12-2024	66.84 58.12 38.04 1.03 57.09	36.17	20.92	20.92
19	नि.ख.-1 जालौन	हरक्का माड़री से मकरन्दपुरा सम्पर्क मार्ग।	561 /2025/आई/1139704 /23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	69.19 69.19 43.93 1.55 67.64	24.21	43.43	40.05
20	प्रा.ख. ललितपुर	देवगढ़ ललितपुर टीकमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-132) के किमी0 36 में आर0सी0सी0 पुलिया एवं किमी0 53 (185) में विशेष मरम्मत का कार्य।	561 /2025/आई/1139704 /23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	48.91 48.91 31.62 0.50 48.41	17.12	31.29	28.87
21	प्रा.ख. जालौन	उरई कोंच नदीगांव मार्ग (प्र0जि0मा0-46 बी) के चेनेज 2.300 से 28.330 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	90 /2024/आई/515263/ 23-1-24/001-23-1002(002)/54/2024 -दिनांक-07-03-2024	579.76 579.76 411.93 63.87 515.89	505.59	10.30	10.30
						कुल योग-	448.93

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 4,48,93,000/- (रूपये चार करोड़ अड़तालीस लाख तिरानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-214/2026/आई/1282132(1)/23-1-26/001-23-1002(002)/202/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।